मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

क्रमांक–एफ–2–1–2013–छः–1.– संक्षिप्त नियम (1) यह नियम मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं ध र्मस्व विभाग के भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन यात्रा नियम– 2014 कहलायेंगे।

2. उद्देश्य तथा परिभाषा–(1) इस योजना का उददेश्य सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा पर जाने वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

(2) तीर्थ यात्री से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसने लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा पूर्ण कर ली हो।

3. तीर्थयात्रा पर जाने के लिये पात्रता–(1) भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा पर जाने वाला तीर्थयात्री मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो.

(ii) मध्यप्रदेश शासन (धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग) द्वारा चयनित व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।

(iii) सिन्धु दर्शन यात्रा हेतु जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जावेगें तथा प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा. यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते है, तो लाटरी (कम्प्यूटराईज्ड ड्रा ऑफ लॉट्स) द्वारा यात्रियों को चयन किया जाएगा. कोटे के 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतिक्षा सूची भी बनायी जाएगी. चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति मे प्रतिक्षा सूची मे सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।

(iv) लाटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नि अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन किया गया हो) को एक मानते हुये लॉटरी निकाली जाएगी एवं लॉटरी मे चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ/सीटों मे से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी।

(v) जीवन काल में केवल एक बार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. तीर्थयात्रा हेतु अनुदान राशि (1) मध्यप्रदेश के ऐसे व्यक्ति जिन्हें मध्यप्रदेश शासन (धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग) द्वारा चयनित व्यक्ति सूची में स्थान पाते हुए उनके द्वारा लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पूर्ण कर ली हो तो उन्हे यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 10,000/– प्रति तीर्थयात्री तक राज्य शासन द्वारा की जाएगी, इसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरांत अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल की यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा।

इस नियम के किसी भी उपखण्ड की व्याख्या के लिये प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निर्देश अंतिम होंगे।

उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./–
(राजेन्द्र सिंह)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

प्रपत्र

भारत मे लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थयात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन–पत्रः–

(1) यात्री का नाम

(2) पिता/पति का नाम

(3) व्यवसाय

(4) निवास स्थान का पूर्ण पता (दूरभाष क्रमांक यदि हो तो)

(5) यात्रा का दिनांक एवं यात्रा पर हुये व्यय का विवरण

(6) लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र

(7) कलेक्टर द्वारा चयन किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र

(8) लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन मंदिर की क्या प्रथम यात्रा है
(हॉ/नही)

(9) पहचान–पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

:: संशोधन ::

भोपाल, दिनांक 31 मई 2016

क्र. एफ–3–23–2016–छः.–विभागीय आदेश क्रमांक एफ.–2–1–2013–छः.–1 दिनांक 4 अक्टूबर, 2014 द्वारा सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पर जाने हेतु भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन यात्रा नियम–2014 प्रसारित किए गए थे, जिसकी कंडिका 4(2) में अनुदान के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश थेः–

कंडिका 4(2)–'' अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा।''

पूर्व प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 के निगम की उपरोक्त कंडिका 4(2) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :–

''अनुदान प्राप्त करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को आवेदन करना होगा एवं कार्यालय कलेक्टर अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा। अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि मे प्रस्तुत करेगा।''

उक्त संशाधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

:: संशोधन ::

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

क्र. एफ–3–80–2016–छः.–विभागीय आदेश क्रमांक एफ–2–1–2013–छः–1 दिनांक 4 अक्टूबर 2014 द्वारा सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पर जाने हेतु भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन यात्रा नियम–2014 प्रसारित किए गए थे, में एतद्द्वार संशोधन किया जाता हैं :

नियम 3(1) में 'भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पर जाने वाला तीर्थयात्री मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो' के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाते हैं :

परन्तु वह आयकर दाता न हो।

शेष शर्तें पूर्व में जारी स्वीकृत क्रमांक एफ–2–1–2013–छः–1 दिनांक 4 अक्टूबर 2014 के अनुसार रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नामे से तथा आदेशानुसार,

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।